

32

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल बोर्ड ग्वालियर/सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)



Rs. 20/-

मी. के. पी. श्री. अ. अ. 60/07  
धारा 44 अंतर्गत 20-11-13...  
..एड  
सर्किट कोर्ट रीवा

R-4366 - 11/13

- रामकली पुत्री रामलला पत्नी श्रीनाथ पाण्डेय, उम्र 66 वर्ष, निवासी ग्राम व पो. मेहुती, तहसील बिरसिंहपुर, जिला सतना म0प्र0
2. चन्द्रकली पुत्री रामलला पत्नी श्री केदार प्रसाद मिश्रा, उम्र 61 वर्ष, निवासी ग्राम ~~अ. अ. 60/07~~, तहसील ~~शेकरपुर~~ जिला ~~सतना~~ म0प्र0
- ..... अपीलान्टगण/पुनरीक्षणकर्तागण

~~2-12-13~~

बनाम

1. कमलेश प्रसाद तिवारी पिता श्री रामनरेश तिवारी
2. विमलेश प्रसाद तिवारी पिता श्री रामनरेश तिवारी
3. नागेन्द्र प्रसाद तिवारी पिता श्री रामनरेश तिवारी
4. सुशील प्रसाद तिवारी पिता श्री रामनरेश तिवारी
5. प्रमोद प्रसाद तिवारी पिता श्री रामनरेश तिवारी
- समस्त निवासी ग्राम बेला, तहसील सेमरिया, जिला रीवा (म0प्र0)
6. रामनरेश तनय दत्तक पुत्र रामसिया तिवारी
7. ज्ञानवती पुत्री रामलला पत्नी श्री गिरजा प्रसाद मिश्रा
- दोनों निवासी ग्राम बेला, तहसील सेमरिया, जिला रीवा (म0प्र0)

.....रेस्पाडेन्टगण/गैरपुनरीक्षणकर्तागण

अपील/पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश  
न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय  
रीवा संभाग रीवा (म0प्र0) प्रकरण  
क्रमांक 1122/अपील/12-13, आदेश  
दिनांक 12-11-13

अपील अंतर्गत धारा 44(2) म0प्र0भू0  
रा0 संहिता 1959

द्वितीय अपील

147

रामकृष्ण पाण्डेय / कमलेश प्रसाद शिवाजी 56

R. 4366-सी/13-सीवां

74

30.12.16

1- आवेदक की भौद से श्री मनोज मिश्रा,  
एड. उप.

2- अनावेदक गण अनुपस्थित है।

3- मान. सहाय महो. का भाज सी वा  
आगवन नहीं ले सका।

4- वांछित पूर्ववत् सुनवाई एवं विचारार्थ।

C.F 11.1.17

आज्ञा नये,  
M  
MS

NR 11/1/17

MS

11.1.17. 1- आवेदक गण की ओर से श्री मनोज मिश्रा एड.  
उप.

2. अनावेदक वक्रांक. / कमलेश प्रसाद शिवाजी एड. उप.

3- वांछित राजीनामा के आवेदन पर कार्य.

परी राणी 23.3.17

कमलेश शिवाजी

M.F  
23.3.17

14  
14

आज्ञा नये  
M  
MS

NR 23/3/17  
MS

2/2/17.

प्रकरण आज भी गण अनुपस्थित है। उनके द्वारा बताया कि पूर्व में  
उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा प्रस्तुत किए  
जा चुके हैं। उनके द्वारा प्रकरण समाप्त करने  
का अनुरोध किया किन्तु पर्याप्त कारणों  
के अभाव में कार्य समाप्त नहीं हो पाया है।  
अभिलेख उपलब्ध नहीं। प्रकरण सुप्रीम  
द्वारा है।

आज्ञा नये  
M  
MS

MS